बौद्धिक संपदा पर भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

तथा

द फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ इक्नॉमिक अफेयर्स ऑफ स्विट्ज़रलैंड
के बीच समझौता ज्ञापन

दोनों पक्ष बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और प्रोत्साह में निकटवर्ती सहयोग के लाभों पर विचार कर जिन बातों पर सहमत हुए हैं वे इस प्रकार हैं:-

अनुच्छेद 1

दोनों पक्षों ने बौद्धिक संपदा के मुद्दों पर बातचीत बढ़ाने के लिए जो संयुक्त समिति गठित की है उसमें सम्मिलित होंगे:

1. राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा के संरक्षण संबंधी विचार, सूचना और अनुभवों की साझेदारी;
2. बौद्धिक संपदा से संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधी बातचीत;
3. दोनों पक्षों के द्विपक्षीय संबंधों में बौद्धिक संपदा के क्षेत्र के विशिष्ट मुद्दों से संबंधित परामर्शों के लिए एक मंच के रूप में कार्य;
4. दोनों देशों के बौद्धिक संपदा संस्थानों के बीच नियमित तकनीकी विनियमों के लिए सतत संस्थागत सहयोग का विकास;
5. बौद्धिक संपदा के प्रशिक्षण में भारत और स्विट्ज़रलैंड के बीच अनुभवों का आदान-प्रदान;
6. ऐसे प्रशिक्षणों के लिए उपयुक्त मापदंडों और पाठ्यचर्याओं का विकास;
7. विशिष्ट बौद्धिक संपदा के मुद्दों पर बातीचीत पर संयुक्त अध्ययन;
8. बौद्धिक संपदा अधिकार की भूमिका में जन-चेतना बढ़ाने संबंधी बेहतर पद्धतियों और अनुभवों का आदान-प्रदान;
9. नकली और चोरी के उत्पादों से होने वाली क्षतियों के संबंधं में जन-चेतना जगाने के साथ-साथ नकली और चोरी के उत्पादों के विनिर्माण, वितरण, विक्रय और उपभोग की रोकथाम के उद्देश्य से रणनीतियों पर विचार-विमर्श;
10. भौगोलिक संकेतों के संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर बातचीत तथा अनुभव का आदान-प्रदान; और
11. पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर बातचीत और अनुभव का आदान-प्रदान।

अनुच्छेद 2

भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक कार्यालय तथा स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इस ज्ञापन के कार्यान्वयन प्रभारी हैं।

अन्य सरकारी एजेंसियां संयुक्त समिति की बैठकों में सहभागिता करेंगी तथा कार्य-सूची के विषयों पर आधारित बातचीत में अपनी जानकारी से योगदान करेंगी।

उद्योग और व्यापार मंडलों के प्रतिनिधि निमंत्रण पर बैठक में भाग ले सकते हैं तथा संयुक्त समिति के कार्य तथा विचार-विमर्श में अपनी जानकारी व व्यावहारिक अनुभव से अपना योगदान कर सकते हैं।

अनुच्छेद 3

संयुक्त समिति वर्ष में एक बार भारत अथवा स्विट्ज़रलैंड में बारी-बारी से बैठक करेगी।

अनुच्छेद 4

संयुक्त समिति द्वारा संबोधित किए जाने वाले विषय दोनों पक्षों के बीच वार्षिक आधार पर निर्धारित होंगे। संयुक्त समिति अपने-अपने मंत्रालयों को बातचीत तथा शुरू किए गए कार्य के बारे में नियमित रूप से बताएगी।

अनुच्छेद 5

मौजूदा ज्ञापन इसके हस्ताक्षर की तिथि से प्रभावी होगा। इसे एक अथवा अन्य अथवा दोनों पक्षों द्वारा किसी भी समय छह माह के न्यूनतम समय के पूर्व नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है।

जिसके साक्ष्य में दोनों सरकारों के अपने-अपने प्रतिनिधियों ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

अंग्रेजी भाषा की दो मूल प्रतियों पर दिनांक 7 अगस्त, 2007 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए।

भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिए

हस्ताक्षरित/-

कमलनाथ
मंत्री

डिपार्टमेंट ऑफ इक्नॉमिक अफेयर्स
ऑफ द स्विस

हस्ताक्षरित/-

डोरिस ल्यूथर्ड, फेडरल काउंसलर